NEWS LETTER

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY JABALPUR



2020

Court Based Legal Services

Ist Pre Litigation Mediation at International Level

Employer-Employee Dispute

One Jhalak Jain complainant filed a complaint against her employer company viz. Pivotchain Solutions Technologies Pvt. Ltd. for her wrongful termination and non-payment of arrears of her salary. It has been averred that the company has refused to pay her legitimate claim qua the salary and her reimbursement bills in accordance with the terms and conditions of her job contract. She filed complaint before Habibganj Police station, Bhopal being resident of Bhopal and as well as Pune Police station, Maharashtra since the company was based at Pune, Maharashtra. After lock down, the directors of the said company ran away to Dubai. When the complainant has filed the complaint before this Authority, the Director remained staying at Dubai.

DLSA Bhopal has issued a notice to the company to appear before this Authority to settle the dispute through pre litigation mediation. The company appeared before this Authority through its lawyer Sh. Jatin Sharma from Delhi.

After few online sessions of pre litigation mediation, both the complainant and the company settled their dispute amicably, accordingly, settlement was done by executing MOU dated 10th September as per agreed certain terms and conditions. It has been agreed that the

employer company shall pay full and final amount of Rs 3,20,000/- in two installments subject withdrawal of all complaints which was filed against the company by the complainant. The company shall issue experience certificate the to complainant without any negative remarks. In compliance of said MOU, the company has paid Ist installment on 26th September, 20. Today, on 08th October, 20, the requisite documents and remaining balance payment as stated in the said MOU were done by the parties through online mode. Nothing remain unsettled between the parties. The Company shall pay the



remaining balance amount by today itself. Matter is resolved amicably by the parties.

Success Story on M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015

DLSA SHIVPURI

DLSA, Shivpuri under the M.P. Victim Compensation Scheme, 2015 (MPVCS) on 10-10-2020 passed order in 03 cases. Victim Compensation Case No. 05/2018 arose from the application filed by the legal heirs of deceased Mr. Mahesh Sharma whose death was homicidal.

On the basis of this application DLSA- Shivpuri initiated proceeding and conducted enquiry as prescribed under the Scheme. During inquiry it came to the knowledge that regarding the murder of Mr. Mahesh Sharma a Session trail no. 75/2018 title State of M.P. through Police Station Satanwada Vs Klayan and other is pending before the 4th ASJ, Shivpuri. On this basis DLSA, Shivpuri sent a letter to concerned Court regarding the status of a case and if judgement is passed the true copy of the same be sent to DLSA, Shivpuri. In this case 4th ASJ, Shivpuri passed the Judgement on dated 06-03-2020 by convicting accused Kalyan for the murder of Mahesh Sharma. After completing the procedure as per MPVCS 2015 the DLSA, Shivpuri awarded Rs. 4 Lacs as compensation to wife and daughter of the deceased respectively vide order dated 10-10-2020.

Case No. 07/2019 arose from the S.T. No. 240/2016 State through Kotawali Shivpuri Vs Nirpat Rawat and others Judgement dated 19-09-2019 passed by 6th ASJ, Shivpuri. The said Court in the Judgement Para 100 stated that deceased Laxman Rawat's 02 minior sons who have suffered loss/damages as a result of their father murder they shuld be rehabilitated by providing reasonable compensation. True copy of the said Judgement was sent to DLSA, Shivpuri, in compliance therof DLSA Shivpuri registered the matter under MPVCS 2015 and proceeded according to provision of that compensation Scheme.

After completing the enquiry as per procedure it was found that Smt. Gunja@Baby@Neeta the wife of deseased Laxman Rawat has been the accused under whose conspiracy the murder of Laxman Rawat took place and she has been also convicted by 6th ASJ, Shivpuri along with co-accused, so she is not entitled for compensation. On this basis DLSA, Shivpuri awarded Rs. 4 Lacs Compensation to the deceased's minior son's Aditya Rawat and Adarsh Rawat by order dated 10-10-2020.

Case No. 03/2020 arose from the S.S.T. No. 100/2017 State through Police Station Bhonti Vs Nawal Jatav Judgement dated 18-02-2020 passed by Special Court Pocso. The Special Court in the Judgement's Para 43 recommended that prosecutrix a minior girl be compensated for the loss/damages suffered as a result of rape/sexual assault. The true copy of said Judgement's was send to DLSA, Shivpuri on the basis of that DLSA, Shivpuri registered the case under M.P. Victim Compensation Scheme, 2015 and conducted enquiry as per procedure.

After completion of enquiry the DLSA, Shivpuri awarded Rs. 2 Lacs compensation in favour of minior girl for the loss/damages as a result of rape/sexual assault on her by order dated 10-10-2020.

In conclusion DLSA, Shivpuri has awarded total Rs. 10 Lacs Compensation under M.P. Victim Compessation Scheme, 2015 in 03 cases thereby benefitting 05 persons.

E- inauguration of Mediation Center & Vivaad Viheen Gram

On 17 October, 2020 at 05.00 PM, Shri Justice Sharad Arvind Bobde, Hon'ble the Chief Justice of India, Supreme Court and Partron-in-Chief, National Legal Services Authority, New Delhi inaugurated 03 newly constructed Mediation Centers through online mode at Tehsil Legal Services

Committees viz. **Bijawar, Kasrawad and Mauganj** of Districts Chhatarpur,
Mandleshwar and Rewa in gracious presence
of Shri Justice Sanjay Yadav, Hon'ble
Acting Chief Justice, High Court of Madhya
Pradesh and Patron-in-Chief, Madhya
Pradesh State Legal Services Authority and
other Hon'ble Judges of High Court,



Jabalpur. So far, 43 ADR Centers & 45 Tehsil Mediation Centers have been established in Madhya Pradesh, making a total of 88 ADR / Mediation Centers.

In the said program, under the Litigation Free Village Scheme 2000 of

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-18 | Page- 1

CJI Sharad Bobde inaugurates three newly-constructed mediation centres

Staff Reporter

CHIEF Justice of India and Patron-in-Chief, National Legal Services Authority (NLSA), Justice Sharad Arvind Bobde, on Saturday, inaugurated as many as three newly-constructed mediation centres online at Tehsil Legal Services Committees, including Bijawar, Kasrawad and Mauganj of districts Chhatarpur, Mandleshwar and Rewa, in presence of Justice Sanjay Yadav, Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court. So far, 43 ADR centres and 45 Tehsil mediation centres have

been established in Madhya Pradesh, making a total of 88 ADR/Mediation centres.

During the programme, under Litigation Free Village Scheme 2000 of MP State Legal Services Authority, as many as five villages, including Chargaon Pinjara of Chhindwara district, Barbaspur of Seoni district, Bija Jabalpur district, Kathora district Mandleshwar and Melpada district Jhabua were selected and inaugurated online. On the occasion, CJI Bobde also inaugurated mediation centres of Nema and Gond communities in Jabalpur. The important step will

pave way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner.

Mediation is a free process, in which no party loses and the mediation settlement that is agreed and reached by the conflicting parties attains finality. With inauguration of mediation centres at tehsil level, disposal of cases in remote locations of the State will be possible through mediation, which will not only resolve disputes and decrees litigation but also create an environment of harmonious cohesion in society along with saving of time and resources.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd



Madhya Pradesh State Legal Services Authority, 05 Villages viz. **Chargaon Pinjara** District-Chhindwara, **Barbaspur** District-Seoni, **Bija** District-Jabalpur, **Kathora** District Mandleshwar and **Melpada** District-Jhabua were selected and E-inaugurated. On this occasion, the Community Mediation Centers of Nema & Gond Communities at Jabalpur were also inaugurated by Hon'ble the Chief Justice of India.

This important step will pave the way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner. Mediation is a free process, in which no party loses, and the mediation settlement that is agreed & reached by the conflicting parties attains finality.

With the inauguration / opening of Mediation Centers at the tehsil level, disposal of cases in remote locations of the State will be possible through Mediation, which will not resolve disputes and decrease litigation but also creates an environment of harmonious cohesion in society along with saving of time and resources.

The selection of Litigation Free Villages is an important step towards establishing a dispute less society.











Media Coverage







ત્રાન વારનાય ાવળારા ાવવાય ાવણન ત્રાન વાાવા

अमरवाड़ा, समाज को विवादरहित किए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्राग्धायत भाजीपानी के ग्राम वारगांव पिजारा, जनपद पंचायत अमरवाड़ा को मध्यप्रदेश पंचायत भाजीपानी के ग्राम वारगांव पिजारा, जनपद पंचायत अमरवाड़ा को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की विवादविहीन ग्राम योजना के अंतर्गर विवादविहीन ग्राम घोषित किए जाने की ऑनलाइन घोषणा माननीय मुख्य न्यायाधिपरि सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति एस ए बोवडे के द्वारा माननीय संजय यादव कर्यवादिव सर्वाच्च न्यायाधिपति कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर व श्रीमती गिरिबाला सिंह सदस्य सिवय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेव प्राधिकरण जबलपुर की गरिमामय उपस्थित में किया गया। इस अवसर पर चारगांव प्राधिकरण जबलपुर की गरिमामय उपस्थित में किया गया। इस अवसर पर चारगांव प्राधिकरण, अरविंद गोयल अपर जिला न्यायाधीश/ सिविंद जिला विधिक सेव प्राचिकरण छिंदवाड़ा, श्रीमती निशा विश्वकर्मा, श्री अजय करोठिया अपर जिल न्यायाधीश अमरवाड़ा, श्रीमती निशा विश्वकर्मा, श्री अजय करोठिया अपर जिल न्यायाधीश अमरवाड़ा, सुश्री संघ्या मरावी, सुश्री पलक राय न्यायिक मजिन्द्रों न्यायाधीश अमरवाड़ा, दीपक वैद्य एसडीएम अमरवाड़ा, डॉ. संतोष डेहरिया एसडीओपी अमरवाड़ा अभरवाड़ा, दीपक वैद्य एसडीएम अमरवाड़ा, डॉ. संतोष डेहरिया एसडीओपी अमरवाड़। उड़के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अमरवाड़ा, ग्राम सरपंच ब्रजलाढ उड़के, सिवव सरनसिंह परतेती, सहायक सिवव श्रीमती उमा वरकड़े, रजनीश चीरिय उड़के, सिवव सरनसिंह परतेती, सहायक सिवव श्रीमती उमा वरकड़े, रजनीश चीरिय जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। आन बारगाब । प्रणारा । प्रपाय । प्रणान आग बा। प्रा अमरवाड़ा, समाज को विवादरहित किए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्राः ०३७, सायप सर्पात्तक पराताः, त्रवापण राजप शायप शाया वर्गा परावण । जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे ।





PRO Jansampark Chhindwara

म चारगांव पिंजारा को ऑनलाईन घोषित किया गया विवादविहीन

पर जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रल ने बताया कि ग्राम में रह रहे लोगों के मध्य विवाद नहीं रहे और दि विवाद हो तो आपसी सुसबूझ व समझति के आधार पर वेकल्चिय ह्या में उनका निराकरण हो जाये, इसी उदेश को लेकर विवादविही ग्राम योजना संशाहित की जा रही है और निर्धारित सापदंजे को पूरा रने वाले ऐसे ग्रामों को विवादविहीन ग्राम घोषित किया जाता है। इसे रिप्रेक्ष में ग्राम वारगांव पिजारा को ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग व रिप्रोक्ष में ग्राम वारगांव पिजारा को ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग व राजादिवारीन ग्राम पोधित किया गया है। तन्त्रोंने कता कि इस योजना है रिप्रेक्ष्य में ग्राम चारगांव पिजारा को आंनलाईन प्रक्रिया का उपयोग व बादविद्यीन ग्राम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना है तर्गत प्रायिकरण द्वारा सतत् रूप से ऐसे ग्रामों का चयन करने का ग्रास किया जायेगा जिसमें विवाद नहीं हो ताकि जिले के ऐसे ग्रामों व

ाछदवाड़ा

ग्राम चारगांव पिंजारा विवादहीन ग्राम घोषित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई ऑनलाइन घोषणा



झाबुआ जिले का ग्राम मेलपाडा विवाद विहीन हेतु चयनित सुप्रीम कोर्ट के चीफजरिटम ने किया ऑनलाईन शुमारम

कल दिनांक 17.10.2020 को शाम 05:00 17.10.2020 का शाम 05:00 रूजे भारत के मुख्य न्यायाधिपति शननीय श्री एस. ए, बोबड़े के द्वारा ऑनलाईन वीडियो काप्रिसंग के गध्यम से झाबुआ जिले के ग्राम क्लपड़ा (ग्राम पंचायत गोला छोटी तहसील व विकास खंड झाबुआ हो मुकदमेबाजी और झगडों से नजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने ह अवधारण को सरकार करते हुये प्रॉनलाईन ई -शुभारम करके विवाद वहीन ग्राम योजना अंतर्गत मेलपाड़ा ग्रम को चयनित किया गया। ग्राम रलपाडा के प्राथमिक विद्यालय के ांगण में ग्रामवासियों के समक्ष हार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक गधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ ह द्वारा किया गया। प्रारम्भ में विधिक गक्षरता शिविर के माध्यम से हार्वक्रम में उपस्थित ग्राम सरपंच, सचिव, आंगनबाडी ाचावत साचव, आवनबाडा हार्यकर्ता, तडवी स्कूल शिक्षक ग्राम गणमान्य नागरिकगण एवं

सूलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईस दी गई समाधान करन का समझाइस दा गई एवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी झगड़ा और विवाद करने का सभी ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा गांव में एवं परिवार में कोई आपसी झगड़ या विवाद होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता लोक अदालत आदि के माध्यम से आपसी समाजस्य और सहमति के आधार पर विवादों का समाधान करने के लिये पहल की गई । ऑनलाईन वीड़ियों कांग्रोसिंग के माध्यम से पाक्रिया कार्रमात्ता क माध्यम् स सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिम माननीय श्री बोबडे साहब द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिम माननीय श्री संजय यादव साहब एवं सदस्य सचिव महोदया श्रीमती गिरिबाला सिंह जी के साथ ग्राम मेलपाड़ा को विवाद विहीन

विवाद विहीन हेत् ग्राम मेलपाड़ा का हुअ

मेलपाडा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा किया गया। प्रारंभ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थितजन को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईश दीएवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से



सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी झगडा और विवाद करने का सभी ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा गांव में एवं परिवार में कोई आपसी झगड़ा या विवाद होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि के माध्यम से आपसी समांजस्य और सहमति के

आधार पर विवादों का समाधान करने के लिये पहल की गई। ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मान. बोबड़े द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिस मान. संजय यादवएवं सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के साथ ग्राम मेलपाड़ा को

परघोषण की गई, जिसका स्वागत सभी ग्रामवासियों के साथ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता एवं अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर किया। मेलपाडा के स्कूल को प्राकृतिक फूलों और पौधों से सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर प्राधिकरण झाबुआ की ओर से लगाये गये। कार्येक्रम में प्रमुख रूप

विवाद विहीन चयनित होने से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान. मख्य न्यायिक मजिस्टेड्ट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेउटगण राजक्मार चौहान, हर्ष ठाक्र, अंशुल जैन, अमन सुलिया, अनुविभागीय पुलिस इडला मौर्य, सब-इंस्पेक्टर गुलाब वर्मा, ग्राम और बोर्ड जिला विधिक सेवा सरपंच, सचिव, तडवी, शिक्षक, आंनगबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।







झाबुआ 19-10-2020

सप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन की घोषणा ग्राम मेलपाड़ा विवाद विहीन योजना में शामिल, समझौते के तरीके बताएंगे

ग्राम पंचायत गोली छोटी के ग्राम मेलपाडा का चयन विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत किया गया। मुख्य न्यायाधिपति एसए बोबडे ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका चयन किया। गांव को मुकदमेबाजी और झगड़ों से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारणा को साकार करते हुए इसका चयन

इसके लिए ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाइश दी गई। साथ ही गांव को विवाद विहीन बनाए रखने के फायदों के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जबलपुर न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिस संजय यादव, सदस्य सचिव

झाबुआ जिले का ग्राम मेलपाडा विवा

सपीम कोर्ट के चीफ जरिटम ने किय

समाधाः

तथा श

ग्रामवारि और

झगडा

आपसी

आधार के लिये

वीटियो

यादव



मेलपाड़ा में हुए कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीश।

गिरिबाला सिंह ने मेलपाड़ा को विवाद विहीन चयनित होने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला जज राजेश कमार गुप्ता, अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चैहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, अंशुल जैन, अमन सुलिया, एसडीओपी इंडला मौर्य सहित सरपंच, सचिव, तडवी व ग्रामीण मौजुद थे।

मेलपाडा विवाद विहीन हेतु चयनित सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिम ने किया ऑनलाईन शुभारंम

न्यायाधिपति माननीय श्री एस. ए. बोबड़े के द्वारा ऑनलाईन वीडियो कांप्रेसिंग के माध्यम से बाबआ जिले के ग्राम मेलपाड़ा (ग्राम पंचायत गोला छोटी) तहसील व विकास खंड झाबुआ को मकदमेबाजी और झगडों से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारण को सरकार करते हुये ऑनलाईन ई -शुभारंम करके विवाद विद्रीन गाम योजना अंतर्गत मेलपाडा गाम को चयनित किया गया। गाम मेलपादा के पाथमिक विद्यालय के पांगण में गामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा किया गया।

प्रारम्भ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनबाडी कार्यकर्ता तडवी स्कूल शिक्षक ग्राम के गणमान्य नागरिकगण एवं महिलाओं तथा बच्चों को आपसी सूलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईस दी गई एवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के



वीडियों

करने के लिये पहल की गई। ज्ञांतिपिय एवं सद्धाव से सभी ऑनलाईन कांफ्रोसिंग के माध्यम से सप्रीम ग्रामवासियों के साथ कोई भी झगड़ा और विवाद करने का सभी कोर्ट के चीफजस्टिम माननीय श्री गामवासियों ने संकल्प लिया तथा बोबडे साहब द्वारा जबलपुर उच्च गांव में एवं परिवार में कोई आपसी न्यायालय से मध्यप्रदेश के झगड़ा या विवाद होने की स्थिति में कार्यवाह चीफ जिस्टम माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री संजय यादव साहब एवं माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता सदस्य सचिव महोदया श्रीमती लोक अदालत आदि के माध्यम से गिरिबाला सिंह जी के साथ ग्राम आपसी समांजस्य और सहमति के मेलपाडा को विवाद विहीन आधार पर विवादों का समाधान चयनित होने पर की घोषण की

गई, जिसका स्वागत गामवासियों के साथ जिला जज श्री राजेश कमार गप्ता एवं अपर जिला जज जिला एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर किया गया। मेलपाडा के स्कल को प्राकृतिक फ्लों और पौधों से सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर और बोर्ड जिला विधिक सेवा पाधिकरण

विवाद विहीन हेतु ग्राम मेलपाड़ा का हुआ चयन

शाबुआ। कल दिनांक 17.10.2020 को शाम 05:00 बजे भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री एस. ए. बोबड़े के द्वारा ऑनलाईन बीडियो कप्रिसिंग के माध्यम से झाबुआ जिले के ग्राम मेलपाड़ा (ग्राम पंचायत गोला छोटी) तहसील व विकास खंड झाबुआ को मुकदमेबाजी और झगडों से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारण को सरकार करते हुये ऑनलाईन ई -शुभारंम करके विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत मेलपाडा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक फ्रायकम् का जावाजनाजला विविक् प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा किया गया। प्रारम्भ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सरपंच, सचिव. आंगनबाडी कार्यकर्ता , तडवी स्कूल शिक्षक ग्राम के गणमान्य नागरिकगण एवं महिलाओं तथा बच्चों को आपसी

मेलपाडा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला ग्रामवानि विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा किया गया। प्रारंभ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थितजन को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईश सुप्रीम द श्री बोब दीएवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से



झगडा और विवाद करने का सभी करने के लिये पहल की गई। ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के गांव में एवं परिवार में कोई आपसी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ झगडा या विवाद होने की स्थिति में जस्टिस मान. बोबड़े द्वारा जबलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता, कार्यवाह चीफजस्टिस मान, संजय लोक अदालत आदि के माध्यम से यादवएवं सदस्य सचिव गिरिबाला आपसी समांजस्य और सहमति के सिंह के साथ ग्राम मेलपाडा को

जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित लगाये गये। कार्यक्रम में प्रमुख रूप कर्मचारीगण उपस्थित थे।

विवाद विहीन चयनित होने से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश परघोषण की गई, जिसका स्वागत कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश सभी ग्रामवासियों के साथ जिला एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जज राजेश कमार गुप्ता एवं अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेउट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेउटगण न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, किया। मेलपाड़ा के स्कूल को अंशुल जैन, अमन सुलिया, प्राकृतिक फुलों और पौधों से अनुविभागीय पुलिस इडला मौर्य, सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर सब-इंस्पेक्टर गुलाब वर्मा, ग्राम और बोर्ड जिला विधिक सेवा सरपंच, सचिव, तडवी, शिक्षक, प्राधिकरण झाबुआ की ओर से आंनगबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य

Mediation

Mediation Awareness Programme





DLSA SEONI





DLSA DATIA

DLSA DATIA

Media Coverage

गांधी जयंती पर जिला न्यायालय में मीडिएशन जागरूकता कार्यव्र

गांधी जयंती के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शशीकलॉ चंद्रा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के चित्र पर फुल माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित कर कोविड-19 महामारी के चलते जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय केएन सिंह, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मा. केएस शाक्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह एवं



शास अव की

की उपस्थिति में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया । श्रीमती चंद्रा द्वारा शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ता को मध्यस्थता जागरूकता योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर लोगो को जागरूक करना एवं न्यायालय के माध्यम से ऑनलाईन, संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्यवाही पर जोर दिया। सभी को कोरोना महामारी में मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। कार्यक्रम में श्री शाक्य द्वारा मध्यस्थता जागरूकता में उपस्थित अधिवक्ता को इस संबंध में विशेष रूप से बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर विवाद का अंतिम रूप से निराकरण होता है।

जिला न्यायालय परिसर में किया मध्यस्थता जागरूकता को पेरित



जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशीकला चंद्रा ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं को मध्यस्थता जागरूकता योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को

हरदा, गांधी जयंती के अवसर पर ऑनलाइन एवं संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्रवाई करने पर जोर दिया। न्यायाधीश केएस शाक्य ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विवाद का अंतिम रूप से निराकरण होता है। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश न्यायालय केएन सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय अधिवक्तागण जागरूक करने एवं न्यायालय में न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद थे।

गांधी जयंती पर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया योजना शिविर

विवादों को हल करने का तरीका है मध्यस्थत



पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

दतिया. मध्यस्थला अदालतों का सहारा लिए बिना विवादों को हल करने का एक वैकल्पिक तरीका है। यह एक सरंचित, स्वैच्छिक और संवादात्मक बातचीत प्रक्रिया है जहां एक तटस्थ तृतीय पक्ष विशेष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करता है ताकि पक्षकरों को मध्यस्थता का लाभ प्राप्त हो सके। उक्त बात अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया दिनेश कुमार खटीक ने एडीआर भवन में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर के दौरान कही।

सोमवार को राष्ट्रीय कार्ययोजना अनुसार जिला न्यायाधीश एवं

अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण सुनीता यादव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा एडीआर भवन जिला न्यायालय दतिया में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक ने शिविर में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स को मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। जिससे पक्षकार अपनी बात मध्यस्थ के समक्ष बिना किसी बाधा के रख सके। शिविर में सुनील त्यागी, पैरालीगल वालेंटियर्स अंकिता श्रीवास्तव, महेन्द्र सिंह बघेल थे।

Lok Adalat Programmes

Online Lok Adalat

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, Special Lok Adalats for all matters through online mode was scheduled on **23.10.20** & **31.10.20** at the High Court and Dist. Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken	Number of cases	Settlement	Benefitted persons
up	disposed	Amount	
221	147	1,49,06,258	469

Disposal at Dist. Court Level

No. of cases taken	Number of cases	Settlement	Benefitted persons
up	disposed	Amount	
5893	1581	27,41,39,751	4013

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken	Number of cases	Settlement	Benefitted	
up	disposed	Amount	persons	
6114	1728	28,90,46,009	4482	

The nature of matters disposed through online mode was under MACT, NI Act, Civil Disputes and Criminal Compound matters.

Glimpses and Media News of E-Lok Adalat

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-24 | Page- 2 ehitavada.com

e-Lok Adalat organised under **State legal Service Authority**

E-LOK ADALAT was organised under the guidance of Executive Chairman of State Legal Service Authority, Justice Sanjay Yadav at the High Court and sub-ordi-nate courts of the District Court,

at the High Court as the ordinary at the High Court as the Jorday.

It may be noted that due to corona crisis routine work of courts has not been done as usually since months. Therefore, look Adlate was conducted through video conferencing. Division bench was constituted for disposal of motor accident compensation cases at the principal seat Jabalpur and Indove bench. The division bench at Jabalpur was headed by Justice Vijay Kimar Shuda and Advocate Divya Kirti Bohre as member of the bench.

Cases related to motor accident compensation were presented during the E Lok Adlata. For the same, Advocates and parties did

same, Advocates and parties did not have to come to the court.



As per the schedule only advo-cates were communicated for

cates were communicated for settlement of the cases. Senior office-bearers of the High Court Legal Service Committee informed that 147 cases out of total 221 cases were settled and award of Rs 1,49,06,258 was passed by the

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

division bench at the Jabalpur during the e-Lok Adalat. Similarly, an e-Lok Adalat was also organised at district courts and 235 casesoutoftotal 996cas-s, which were referred to the courts, were settled amicably and award of Rs 49,84,759 were passed

एडीजेने आपसी समझौते Online Lok Adalat से सुलझाया मामला

ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोव Sehora, Patan अदालत में खंडपीठ क्रमांक-1 के पीठासीन अधिकारी एडीजे सचिन कुमार घोष ने दो पक्षों के बीच आपर्स बातचीत से राजीनामे में पौने दे करोड़ का विवाद सुलझाया।

held at Jabalpur, गुना।जिला मुख्यालय पर आयोजित Tehsil Court,

■ Staff Reporter

ONLINE permanent and continuous Lok Adalat was organised at District Court Jabalpur. Tehsil Court, Sehora and Patan on Saturday. The Lok Adalat was organised under the guidance of District and Session Judge Navin Kumar Saxena and with the coordination of Secretary Sharad Bhamkar. During the Lok Adalat, cases of motor accident compensation claims were resolved and a total award of Rs 7,06,22,313 was passed. For the resolution of cases, a total of four division benches were constituted and 430 cases pending in the courts were referred and 425 cases were resolved through online mode.

कोरोना | आयोजित हो रही ऑनलाइन स्थाई लोक अदालत

४६ प्रकरणों का किया गया निराकरण, ९४,९३,३७८ रुपए का अवार्ड पारित



भारकर संवादवाता विवा

द्वारा पूर्व से आयोजित राष्ट्रीय इस तरह की लोक अदालत विगत लोक अदालत का आयोजन किया

कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालय अचाव हो सके। बताया गया है कि विगत जुलाई माह से पुनः ऑनलाइन

किया जा रहा है। जिससे कि कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय लोक संक्रमण से अधिक से अधिक अदालत का आयोजन नहीं हो पाया। 31 अक्टबर को आयोजित की गर्ड। जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश - ऑनलाइन स्थार्ड एवं निरंतर लोक - 9493378 रुपए का अवार्ड परित

समस्त गाइड लाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन विपिन कुमार लावनिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में किया गया। जिला न्यायालय के साध-साध तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंधर, मऊगंज एवं हनुमना में भी ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के आयोजन सिवित के वो प्रकरण इस तरह से के लिए खण्डपीठों का गठन किया कुल ६६ प्रकरण विराकरण के लिए जा रहा है। बताया गया है कि रखे गए थे लेकिन इनमें से मेटर न्यायालय में दो खण्डपीठ तथा तहसील न्यायालय में कुल सात तिथिल के 1 प्रकरणों का निराकरण खण्डपीठ बनाई गई हैं। इस तरह किया गया। इनमें से 233 लोगों से पूरे जिले में कुल नौ खण्डपीठ को लाभविवत किया गया जिनसे

सिंह के मार्गदर्शन में शासन की सत्र न्यायाधीश सधीर सिंह राठौड एवं खण्डपीठ क्र. 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शशांक सिंह ने ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य संपादित कराया। इस तरह निराकत

स्थार्ड एवं गिरंतर लोक अदालत के इस आयोजन में मोटर क्लेम के 45 पकरण, चेक बाउंस के 19 तथा क्लेम के 41. चेक बाउंस के 4

9,493,378 राशि के अवार्ड पारित

ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में 46 प्रकरणों का निराकरण

स्टार समाचार ौवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विपिन कुमार सिंह के मानदरान में विवन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में कोरोना संबंधी शासन की समस्त गाईडलाईन का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर हुए आनलाइन स्थाइ एव ।नरतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। जिस हेतु रीवा न्यायालय के



तहसील साथ-साथ न्यावालव सिरमौर, त्योंधर, मऊगंज एवं हनुमना में भी ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत हेतु खंडपीठों का गठन किया जाता है। रीवा न्यायालय में दो खंडपीठें एवं तहसील न्यायालयों में कुल 7 खंडपीठे इस तरह से संपर्ण जिला यायालय रीवा में कुल 9 खंडपीठे

ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक

में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ एवं खंडपीठ क्रमांक 2 में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी शंशाक सिंह ने ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य निरंतर लोक अदालत का कार्य संपादित किया। उक्त विशेष लोक अदालत में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गवा इस तरह ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक

रीवा न्यायालय में खंडपीठ क्रमांक 1

निराकृत हये 887 1500 रुपए की समझौता राशि के आदेश पारित किए गए और 224 व्यक्ति लांभावित हुये एवं 1 सिविल प्रकरण, 4 चेक बांउस प्रकरण समेत कुल 46 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समाझौते से किया गया एवं कुल समझौता राशि 9,493,378 के आंदेश पारित किए गए।

कुल	66	46	233	9,493,378
सिविल प्रकरण	02	1	03	
चेक बाउंस प्रकरण	19	04	06	621878
मोटर क्लेम	45	41	224	8871500
प्रकरण की प्रकृति	रखे गए प्रकरणों की संख्या	िराकृत प्रकरणों की संख्या	लागाँवित व्यक्ति	समझौता राशि

Success Story

DLSA JABALPUR

Application of Mr. Sijo Fran resident R-17, Shakti Nagar, Ward No. behind Jain Temple. 18, 866 / J. Jabalpur was forwarded by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur to District Legal Services Authority for providing legal aid. The said case was directed for redressal through a public utility services lok adalat. The said case has been registered in the public utility services lok adalat. The mobile number given in the application of the applicant Sijo Fran was approached, his problem was heard and he was given proper legal advice. Due to which he was satisfied and by working on the advice of him, he solved his problem and on being resolved, the applicant thanked the District Authority. He was convinced by the District Legal Services Authority, Jabalpur, that if he needs any kind of legal assistance or advice in future, then the District Legal Services Authority is always committed to help.

Reaching out to our Jail Inmates Jail Inspection

DLSA BHOPAL

The Secretary of this authority has inspected the Central Jail, Bhopal on 13th October, 20. Approx. 75 Jail inmates including 16 inmates who had sought legal aid discussed their respective problems. The authority will do the resolutions thereof. The jail authority is following the prescribed protocol during Covid-19 in Central Jail, Bhopal.

d-19 in Central Jail, Bhopal.
Virtual Meeting and telephonic conversation are

going to be organized with the family members of inmates in accordance of Jail Manual. There is no complaint against the jail authority. Separate meeting was conducted with Jail inmates PLVs in order to know the difficulty, if any, in the Jail. Women inmates cell was also inspected.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जिला जेल झाबुआ में महिला बंदियों के लिए ऑनलाईन वर्जुअल लीगल लिटरेसी कैम्प "Accessing Justice For Women Inmates and their Accompanying Children in Prison" का दिनांक 13.10.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा महिला जेल बंदियों के लिए "Special Online Virtual Legal Assistance Camp" का

आयोजन किया गया। Video Conferencing के माध्यम से न्यायाधीशगण द्वारा जेल झाबुआ की सभी महिला बंदियों से वकील पैरवी, आहार, उपचार, साफ—सफाई व अन्य सभी आवश्यक बिन्दुओं पर पूछताछ की गई, महिला बंदियों को उनके अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, आदि की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कानूनी जानकारियां दी गई।

उक्त Video Conferencing विधिक साक्षरता शिविर में अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहें।

Video Conferencing विधिक साक्षरता शिविर में 15 महिला बंदी ऑनलाईन माध्यम से जुड़कर उपस्थित रहीं।





DLSA BHIND



DLSA DHAR

जेल में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

बंदियो को बताए विधिक अधिकार



हरदा, देशबन्धु। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के.एस.शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह . एवं जेलर एम एस रावत कि उपस्थिति में जिला जेल हरदा में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का अव्यूब खाल, ब्यूड वाफ, आ. 9826847739

पालन करते हुये विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल का निरीक्षण किया गया।

जेल में निरूद्ध बंदियों को

नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा जेल बंदियों को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया एवं कैदियों की समस्याओं को सुनकर उनको समझाईश दी । जेल में निरूद्ध व्यक्तियों को रिमाण्ड कार्यवाही से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी । विचाराधीन बंदियों में जिनके अधिवक्ता पैरवी नहीं करते

उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही विधिक सहायता प्रदान की गयी तथा बंदियों के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। वहीं बताया गया कि विधिक सहायता हर हाल में जरूरतमंद व्यक्ति को मिलनी चाहिये। विधिक सहायता से कोई भी बंदी वंचित न रहे।

जिला जेल हरदा में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन





बंदियो को बताए विधिक अधिकार

जिला जेल में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

ाजाला जाल वा बादिया का लिया पा हरवा, (निध्य) जिला एवं पात्र रूप्याचाडीश ताब अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रिकारण हरता श्रीमती अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरता श्रीमती अध्यक्षित सेवा प्राधिकरण हरता श्री के एस्स साव्य एवं जिला विधिक सहारता अधिकराडी की अध्यय सिंद की उपिथ्वति में एवं जेलर श्री एम.एस. यात्र कि उपिश्वति में जिला जेला हरता में क्योंदिवती में जिला अध्यक्तिय में जिला जेला हरता में क्योंदिवती में जिला संस्थात हर्ड स्टियों का पालन करते हुई, विधिक सावस्ता श्रिविश का पालन करते हुई, विधिक सावस्ता श्रिविश का पालन करते हुई, विधिक सोवस्ता प्राधिक स्थानिक स्थानिक मित्रण किया प्राधा

AD CIGACUI ICIIGC UP MICIOION
केतीयों को पारमधार्थिक पुरान उनको समझाईम
री तथा जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को रिमाण्ड
कार्यवासी से में जिल्ला विधिक सेला प्रधिकरण हरना
प्रधा अधिवक्ता नियुक्त करने संबंधी आनकारसी री
गर्या नाम विश्वापतिक सेलिया प्रधिकरण हरना
रेपरी नाम विश्वपतिक सेला प्रधिकरण की
ओर से पैकल अधिकता नियुक्त किला प्रधान की
गर्भ से पूर्व अधिकता किला किला की
नेता
नेता करते, उन्हें विधिक सेला प्रधिकरण की
गर्भ से युक्त अधिकता नियुक्त किले जाने रेतु
निर्देशित किला गया पह विधिक समस्या प्रधान की
गर्भा मा बाहियों के अधिकरण के बार्स में सिवसार के
आनकारी दी गर्मी एवं ब्याचा गर्मा कि विधिक
समस्या रह ताल में अवकारमा रहना किला की



जिला जेल हरदा में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा तथा अध्यक्ष जिला विधिक सवा प्राधिकरण इरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इरदा के. एस.शाक्य एवं जिला विधिक तिरिक

जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह की उपस्थित में एवं जेलर एम. एस. रावत कि उपस्थित में जिला जेल हरदा में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये,

विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल का निरीक्षण किया गया. जेल में निरूद्ध बंदियों को

जिल में । गरूद्ध बादना का नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा जेल बंदियों को प्लीबारगेनिंग के बतायें बारे में विस्तार से

बंदियों को बताये विधिक अधिकार

शिवतार्थे बारे में विस्तार से अधिकार के विद्यों की समस्याओं की सुनकर उनको समझाईश दी तथा जेल में निरूद्ध व्यक्तियों को रिमाण्ड कार्यवाही से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा हारा अधिवका नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी.

Online Training and Webinar

Online Dispute Resolution "Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Jain Community"

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Jain

Community in eight districts.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and



thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe- Judge Mediator/ Potential Trainer. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.



The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.

Online Dispute Resolution "Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Kayasth Community"

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Kayasth Community in eight districts.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe-Mediator Judge Trainers. & the mediation process confidentiality of offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The Hitavada Jabalpur City Line | 2020-10-23 | Page- 2

MPSLSA holds online mediation programme

Staff Reporter

The Madhya Pradesh State

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority organised a 20-hour online community mediation programme for as many as eight districts. The programme was conducted under the guidance of Justice Sanjay Yadav, Executive Chairman, MPSISA.

The online programme was conducted for districts including Gwalior, Guna, Bhind, Muraina, Shipupuri and other. It was organised for Kayasth community from October 13 to October 22. Giriblad Singh Administered training to the participants, Speaking on the occasion they said it is a very important step towards encouraging acress to mediation. Mediating acress to mediation. Mediating acress to mediation. Mediating resolution mechanism. Earlier confined to the offices of the

Legal Services Institutions it will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve dispute within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

Singh said the topics of the programme include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements etc. She said the confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration offrust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at vim-win formula.

She said the community mediations of the said the confidential states of the said the community of the said the community mediation.

mula.
She said the community mediation programme would be implemented in each district by the District Legal Service Authority while the MP State LegalServices Authority will provide trainers to impart training to community mediation volunteers.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.




Conducting Online and offline Training Programme for Panel Advocates & PLV by DLSA





DLSA SHAHDOL





DLSA SHAHDOL







DLSA JHABUA





DLSA CHHATARPUR

Outreach Activities under Panch "J"

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a largely tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

- (a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.
- (b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.



DLSA CHHATARPUR



DLSA JHABUA

Celebrating Senior Citizen Day

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 के अवसर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस संस्था ग्वालियर के द्वारा लाईव (ऑनलाईन) वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना-2016 के अंतर्गत जिला प्राधिकरण झाबुआ एवं ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया

उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से नालसा (विरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना—2016 अंतर्गत वृद्धजनों को विधिक सहायता एवं सलाह तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई, विरिष्ठ नागरिकों को भरण—पोषण, माता—पिता कल्याण अधिनियम 2007, घरेलू हिंसा से वृद्धजनों का संरक्षण, समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आदि की विस्तार से जानकारी दी, सदस्य सचिव ने वृद्धजनों को खुश रखने और उनकी सेवा व सहायता करने की सभी से अपील की। गेस्ट लेक्चर के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ने भी अपने संबोधन में वृद्धजनों को सालसा एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों को समझाया तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वृद्धजनों को लाभांवित करने के संबंध में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृष्णा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर ने किया। गेस्ट लेक्चर डालसा ग्वालियर सचिव ने भी वृद्धजनों के अधिकार एवं उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। श्री अशोक शर्मा



हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर करेगा लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन

प्राविषया शिक्ता विधिक सेखा प्रशिक्त के तलायान में हैम्पीनेस एंड अवेश्वरोस मित्रान करना, अगरेर विभाग के सार्वांग्य से अंतराष्ट्रीय पुंड अवेश्वरोस मित्रान करना, अगरेर विभाग के सार्वंग्य से अंतराष्ट्रीय पुंड दिखान 1 अंत्रम्य मुख्या से आगरे 5 अने पृष्टुच्च के मार्यां एक स्वाह्म विधिक विधान का अग्रोजन किया जाएगा इसमें मुख्या अतियि के क्या में मार्यांग्य मार्यां विधिक सेखा प्रशिक्त मार्यांग्य से सदस्य सर्थिय जिला नावाचीय विधान विधान विधान विधान विधान विधान से सिंदर आगरित के विधान सामा विधिक सेखा प्रीक्षा रिवीद में सेखर आगरेर के विधी मार्यांग्य विधान विधान विधान सेसा प्रशिक्त के सिंदर प्रशिक्त के विधान सेसा प्रशिक्त के सिंदर प्रशिक्त के सिंदर प्रशिक्त देवित्राच सामा विधान विधान स्थित प्रशिक्त के सिंदर के सिंदर प्रशिक्त के सिंदर के सिंदर

अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर ने उनकी संस्था द्वारा वृद्धजनों के हितो की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे डे केयर सेंटर, निःशुल्क नत्र उपचार शिविर आदि के बारे में बताया। श्री जी.एस.एल गौण सेवानिवृत्त अधिकारी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने भी वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में संबोधन दिया। उक्त वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से लगभग 300 व्यक्तिों द्वारा यूट्यूब चैनल से देखकर प्रत्यक्ष रूप से लांभावित हुये।

वृद्धों की सहायता के लिये है विधिक सेवाः जिला न्यायाधीश

श्रीरामएक्सप्रेस, ग्वालियर

च्यूद्रों की स्वास्थ्य, भाग-पोषण, विधिक आदि हर तरह का तक्य विधिक सेवा प्रदेश तरण है। यह बात क्या विधिक सेवा प्रीकारण की सदस्य सर्पाव्य जिला न्यावशीश गिबिवाल सिंह ने हैंग्योनेस एंड अव्येवरसेस मित्रन के यूट्यूब चैनल पर आविजित वेविनस में कहीं। उन्होंने प्रेट्टत के बूद्धा आवाम व केवर से सेटर में एक सुवाव-विकासत पेटी लगाने व बुद्धान की सदद के लिये पीएलवी नियुक्त करने की बात कहीं। इस वेविनस के आविजान जिला विधिक सेवा प्रीकारण के तत्वधान में हैंग्योनेस एंड अवेवरनेस मित्रन बल्ब, आनंद विभाग के सदयोग से अंतरहित्य वृद्ध टिवस पर किता गया। हाबुआ जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सर्थिक एडीजे गजेश देविल्या ने नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के सर्वक्ष में अन्तिकरी दो। उन्होंने बलाया कि वरिस्ठ जन्ते को अपने बक्कों से भरण-पोषण लेने का पूरा अधिकार



हैसमा हां उन्हें कमजार समझ कर उनका स्पान सं बंदाराल नहीं किया जा सकता। प्रस्तीयम कोट में बृद्धजन इसके लिये आबेदन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकत्य प्रवालिगर के साध्य एहीं जे अतुवाज सिंह ने कहा कि एष्ट्रीय वास्तर जान जीते. 1999 में वांध्यजन को सम्मानित व्यक्ति गोशित किया गया है। परि कोई वांध्यजन प्रवाहत है तो वह जिला कोट भवन दिवा विधिक्त सेवा के कार्यालय में आबेदन कर सकता है। कार्यक्रम में अतिशि के रूप में वांध्य नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक कथा में वांध्य-नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक कथा में वांध्य-नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक कथा मुक्तन, आगावर संख्य के अध्यक्ष जीएसएल श्रीट आंदित द्यांस्थान से हिंदी विभाग की एसोसिस्ट प्रोफेसर व मित्रन आनंद बला सांध्य कृष्णा सिंह व आगार जीवाओ सूनिवासिंहों में भाषा विभाग की असिस्टेट प्रोफेसर प्रकल्या सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्थागत भाषण हैप्पीनेस एंड अवेयरसेस मित्रन आंत्र बला के प्रेरक आनेद्रका



DLSA GWALIOR

On the occasion of International Senior Citizen's Day secretary DLSA Gwalior along with staff members and PLV visited Narayana senior citizen Ashram at Gwalior. Ashram was run by Smt. Maya Garg, trustee of the trust formed by her husband. Donations in the form of food grains, vegetables & fruits were received from the people. There were 40 senior citizens in the Ashram. Secretary DLSA personally interacted with the senior citizens, it came to his knowledge that many of the old people were from well-to-do families of Gwalior. They have mainly left their homes due to family feuds. They were made aware of the provisions of legal aid to senior citizens and provisions of maintenance and welfare act of senior citizens. On being persuaded the senior citizens refused to initiate any proceedings for maintenance and for their own property against their legal heirs. It was their submission that eventually the property will go to their legal heirs, hence there is no need of litigation and they were happy with the other inmates of the Ashram. Plv Anshuman Sharma was deputed with the Ashram, in case if any of the inmates or other person visiting the Ashram wishes to initiate any proceedings in the court of law. The administration of the Ashram accepted our request to put a sign board displaying the provisions of maintenance and welfare act in their premises, which will be shortly prepared and handed over to them. Some of the senior citizens were not able to get costly medicines for the treatment, for which on being assured one of the senior citizen gave his medical prescription, to whom the medicines were made available immediately from the market. The senior citizens were assured of all the help in case of any need*







DLSA GWALIOR & JHABUA

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 के अवसर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस संस्था ग्वालियर के द्वारा लाईव (ऑनलाईन) वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएें) योजना—2016 अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएंं) योजना—2016 अंतर्गत वृद्धजनों को विधिक

सहायता एवं सलाह तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई, वरिष्ठ नागरिकों को भरण—पोषण, माता—पिता कल्याण अधिनियम 2009, घरेलू हिंसा से वृद्धजनों का संरक्षण, समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आदि की विस्तार से जानकारी दी, सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण द्वारा वृद्धजनों को खुश रखने और उनकी सेवा व सहायता करने की सभी से अपील की। गेस्ट लेक्चर के रूप में श्री राजेश देवलिया अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ने भी अपने संबोधन में वृद्धजनों को सालसा एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों को समझाया तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वृद्धजनों को लाभांवित करने के संबंध में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृष्णा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर ने किया। गेस्ट लेक्चर डालसा ग्वालियर सचिव श्री ऋतुराज सिंह ने भी वृद्धजनों के अधिकार एवं उन्हें

वृद्धों की हर तरह की सहायता के लिये है विधिक सेवाः गिरिबाला सिंह

वृद्धों की स्वास्थ्य, भरण, पोषण, विधिक्ष ज्ञानिह स्व तरह की सहायता के लिये विधिक सेवा सदैव तत्पर है। यह बात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सदिव जिला न्यायाधीश गिरिवाला सिंह ने हैं प्योनेस एंड अवेयरनेस गिशन के यूट्यूब चैनल पर आयोजित वेदिनार में कही। उन्होंने प्रदेश के इद्धा आश्रमन व



केयर सेंटर में एक सुझाव,शिकायव पेटी लगाने व वृद्ध, जन की मदद के लिये पीएलवी नियुक्त करने की बात कही। इस वेबिनार का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरूप के तत्वाधान में हैं प्योनेस एंड अवेयरनेस मिशन

सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किया गया। झाबुआ जिला विविध से सा प्रिकिश्य के संविध वर्डी जो जांगेश देवलिया ने नालसा विविध्व सेवाए योजना 2016 के संवध में जानकारों थी। जन्होंने बताया कि वरिस्ठ जाने को अपने बच्चों से भरणा, पोषण लेने का पूरा अधिकार है। सांच ही उन्हों का नाजा सकता। एसडीएम कोर्ट में वृद्ध जा बसकी लियो आवेदन कर सकते हैं। जिला विविध्व सेवा प्राधिकरण वालियर के सर्विच एडीजे ब्रह्म त्या के ब्रह्म के स्वार में की प्रिकृत के स्वार में विव्ध जा बात की स्वार में विव्ध सेवा प्राधिकरण वालियर के सर्विच एडीजे ब्रह्म त्या का विश्व के स्विच के स्वार के स्वार में स्वार के स्वार के स्वार में अतिथि के स्वार में अविध्व के स्वार के स्वर के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वर के स्वार के स्वार के स्वर के स्वर के स्वार के स्वर के स

मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। श्री अशोक भार्मा तूफान अध्यक्ष विरिश्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर ने उनकी संस्था द्वारा वृद्धजनों के हितो की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे डे केयर सेंटर, निःशुल्क नेत्र उपचार शिविर आदि के बारे में बताया। श्री जी.एस.एल गौण सेवानिवृत्त अधिकारी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने भी विरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में संबोधन दिया। कार्यक्रम संयोजक श्री अंशुमन भार्मा मानव अधिकार आयोग मित्र एवं अध्यक्ष हैप्पीनेस अवेयरनेस मिशन आंनद क्लब ग्वालियर के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं संस्था के कियाकलापों के बारे म जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं दर्शकों का आभार डॉ. ज्योत्सना सिंह राजावत सहायक प्रोफेसर (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने व्यक्त किया।झाबुआ एवं ग्वालियर जिले तथा मध्यप्रदेश के अनेक जिलों एवं अन्य प्रांतों जैसे उत्तरप्रदेश के झांसी शहर, कानपुर, बनारस व अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम को ऑनलाईन यूट्यूब चैनल से अत्याधिक देखा और सुना गया।

उक्त वेबीनार जागरूकता कार्यकम में यूट्यूब के माध्यम से आज दिनांक तक लगभग 300 व्यक्तिों द्वारा युट्यूब चैनल से देखकर प्रत्यक्ष रूप से लांभावित हथे।

वृद्धों की सहायता के लिये है विधिक सेवाः जिला न्यायाधीश

श्रीरामएक्सप्रेस, ग्वालियर

ब्दूर्ज की स्वास्थ्य, भाण-पोषण, विभिक्त आदि हर तरह कर बायवा के लिये विभिक्त सेवा सर्देव सराय है। यह बात क्या विभिक्त सेवा प्रिक्तित्य को सदस्य सर्वायव जिला न्यावधीश गिंकाला सिंह ने हैंग्योनेस एहं अक्ष्मरनेस पायन के यूट्यूव भीकर गए आवंजिता वेश्विनर में कहीं। उन्होंने प्रदेश के बुद्धा आक्षम व केयर सेंटर में एक सुझान सिंकालत परे हो लागों ने बद्दाजन की पादर के लिये गीएलकी निमुक करने की बात कहीं। इस वेश्विनश का आयंग्रेवन निला विभिक्त सेवा प्राहिस्त्य के त्वव्यान का आयंग्रेवन निला विभिक्त सेवा प्राहिस्त्य के त्वव्यान में हैंग्योनेस एंड अवेशरनेस पिशन क्लब, आनंद विभाग के सहस्रोग से अंतरहेंग्र वृद्ध टिवस पर किया प्रथा हाणुआ लिया विभिक्त सेवा प्रभिक्तरण के सर्विच्य एडीने जेशर देवलिया ने नातसा विभिक्त सेवाप एडीने जेशर संबंध में आनकत्व देवा प्रभिक्तरण के सार्वच एडीने जेशर संबंध में आनकत्व देवा प्रभिक्तरण के सार्वच एडीने जेशर संबंध में आनकत्व देवा प्रभिक्तरण के सार्वच एडीने जेशर



होसाथ ही उन्हें कमजार समझ कर उनका सपान सं बेटखल नहीं किया जा सकता एसकीए कोट में बुद्धजन इसके लिये आबेटन कर सकते हैं। जिला विश्वक सेवा प्रधिक्तण स्वित्तिक सं सचिव एहाँजे अहुइन सिंह ने कहा कि राष्ट्रिय वर्षिस्ड जन नेति, 1999 में बहिश्चन को सम्मानित व्यक्ति चौपित किया गया है। गाँद कोई वरिश्चन प्रवादित हैं तो कह जिला कोट मजन स्थित विश्वक सेवा के कार्यालय में आबेटन कर सकता है। कार्यक्रम में अतिविध के रूप में विद्यु नार्याल्य संख्या संस्थान के अध्यक्ष अत्रोक सार्या तुम्बन, आगाह संस्था के अध्यक्ष जोएसल मीड़ आदि उर्योक्ष्यत सेवा संस्थान के अध्यक्ष जोएसल मीड़ आदि उर्योक्ष्यत सेवा संस्थान लासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग को एसीसिस्ट प्रोफेसर व मितन आनंद सल्ल संख्य कृष्णा विश्व व आगार जेवाजी सुनिवर्दिश में भाषा विभाग की असिस्टट प्रोफेसर प्रवास्था सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्थानत भागल वैणीनेस एडं असेयर वेष्णा विश्वम में स्थानत भागल वैणीनेस एडं असेयर वेष्णा सिंहन अंभार जोवाल वैणीनेस एडं ओसेयरवेस मिशन ऑनट कलब के प्रेरक आनंदक प्रोस्ति



Awareness programme organized under the NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016 on the occasion of Senior Citizen day



DLSA BHIND



DLSA DATIA



DLSA ANUPPUR



DLSA BETUL



DLSA HARDA









DLSA SEONI



DLSA SHIVPURI





DLSA NEEMUCH



Health Cheakup Camp - DLSA Mandla

Media Coverage

सखा राशन सामग्री





हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर करेगा लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन

ग्वालियर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग के सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर गुरुवार को शाम 5 बजे यूट्यूब चैनल पर एक लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपर से सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह उपस्थित रहेंगी। शिविर में वरिस्ठ नागरिकों के लिये नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी जाएगी। झाबआ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के सचिव एडीजे ऋतराज सिंह विषय पर गेस्ट लेक्कर देंगे। इसमें अतिथि के रूप में आनंद संस्थान के जिला समन्वयक इंजीण्एके शर्माए वरिस्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा तुफान, आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर व मिशन आनंद क्लब सचिव कृष्णा सिंह व आभार जीवाजी युनिवर्सिटी में भाषा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योत्स्ना सिंह करेंगी। कार्यक्रम में स्वागत भाषण हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब के अध्यक्ष अंशुमान शर्मा की ओर से दिया जाएगा।

की हर तरह की सहायता के लिए है विधिक सेवा

लेयर,न.सं.। वृद्धों की स्वास्थ्य,भरण-पोषण,विधिक आदि हर सहायता के लिए विधिक सेवा सदैव तत्पर है। यह बात राज्य सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश गिरिबाला हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन के यूट्यूब चैनल पर आयोजित में कही। उन्होंने प्रदेश के वृद्धा आश्रम व केयर सेंटर में एक शकायत पेटी लगाने व वृद्ध-जन की मदद के लिये पीएलवी हरने की बात कही। इस वेबिनार का आयोजन जिला विधिक सेवा ग के तत्वावधान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब,आनंद h सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किया गया। झाबुआ जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया ने नालसा सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में के रूप में वरिस्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड आदि उपस्थित रहे। का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग सिएट प्रोफेसर कृष्णा सिंह व आभार जीवाजी विवि में भाषा की सहायक प्राध्यापक ज्योत्सना सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाषण अंशुमान शर्मा ने दिया।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धा आश्रम रपटाघाट में विधिक जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया



वृद्धजन दिवस पर वृद्धों का स्वास्थ्य शिविर परीक्षण कि

(नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विर वरीक्षण किया गया।
क नर्बंद्रिमिया
सम्बद्ध हुआ।

विजय बुआर खोजागड़े जिला विधिक
सम्बद्धारा अधिकारी ने बताया कि स्वयं
सम्बद्धारा अधिकारी के स्वयं
सम्बद्धारा अधिकारी के स्वयं
अध्या अस्य न्याय भी अस्य संदर्धा स्वयं
अद्धा अस्य न्याय न्याय अस्य संदर्धा स्वयं
अद्धा अस्य न्याय न्याय अस्य स्वयं
स्वयं अस्य न्याय आस्य अस्य स्वयं
स्वयं अस्य अस्य स्वयं
स्वयं अस्य अस्य स्वयं
स्वयं स्वयं स्वयं
स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं
सम्बद्धारा स्वयं स्वयं
सम्बद्धारा स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं
सम्बद्धारा स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं
सम्बद्धारा स्वयं सम्बद्धारा स्वयं सम्बद्धारा स्वयं
सम्बद्धारा स्वयं सम्बद्धारा स्वयं सम्बद्धारा स्वयं सम्बद्धारा स्वयं सम्बद्धारा स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं स्वयं साम्य स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं स्वयं स्वयं सम्बद्धारा स्वयं स्व

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया

बैतुल अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतुल के सचिव मनोज मंडलोई के निर्देशन पर गुरुवार को उड़दन में जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथलेश डेहरिया के साथ सभी बजुर्गों से मुलाकात कर दिवस की बधाई दी और विधिक शिविर का आयोजन किया। पैरालीगल वालेटियर शिखा भौरासे, अमित सक्सेना ने उनकी समस्या सनी और उसके निराकरण के लिए आगामी समय में उचित कार्रवाई करने के लिए कार्यालय में आवेदन किया। ताकि वो सारे हक और अधिकार उन्हें मिल सकें, जिसके वे पात्र हैं।

वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम: एडीजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने डे– केयर पर मनाया अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस

3

नीमधा जिला विधिक सेवा ग्राधिकरण जिला न्यायालय नीमच, नालसा वरिष्ठ नागरिको के लिए विधिक सेवाए योजना 2016 के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री इदेश जी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा ग्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे श्री संजय जी जैन के निरोशन में डे-केयर सेन्टर पर अंतरराष्ट्रीय चुद्ध दिवस मनमा गद्या।

क्यार सन्दर्भ पर अंतरराष्ट्राय चुद्ध । दवस्य मनाया गया। देशमा श्री स्वाचन, मार्गदर्शन और आग्रीवर्गद्ध इ.क. कारण हो इस आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि बह उस के इस पहाल पर चुलुगों का विशोग ख्वाल रखें। उन्होंने बताया कि खुलुगों के कल्याण के

लिए कई योजनाएं है। कल्याण विभाग साठ वर्ष से अधिक की आयु के नागरिक को सीनियर स्टिजिन कार्ड प्रदान करता है। यह कार्ड चुज़ों के लिए काफी सुविध्याजनक साबित हो सकता है, बर्योंक इसके माध्यम से उन्हें कई विशेष सुविधाएं मिलती है। बुजुर्गों की सुविधाक के लिए सरकार है केयर सेटर भी स्वीतिया के लिए सरकार है केयर सेटर भी स्वीतिया के लिए सरकार है। केयर सेटर भी की सही दिशा दिखाने और उसे मार्गदर्शन के लिए वरिद्र नागरिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए संस्कृत राष्ट्र ने 1990 में बुजुर्गों दिखक मनाने का फ़ैसला किया था। आज का चुद्ध, समाज से कटा रहता है और सामाव्यत्वन इस बात से अधिक दुन्छी है कि, जीवन का

यर पर मनाया अंतरराष्ट्रीर विवाद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय नतों लेना चाहता है और न ही उनकी राय को कोई महत्व देता है। वृद्ध समाज को इस कुछ कोई के साम के उस के उस

वृद्ध दिवसं
नागरिक भरण-पोषण विभेयक संसद में
गारिक किया गया है। इसमें माता-पिता के
भरण-पोषण, बृद्धाश्रमों की स्थापना,
विकरता सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ट
नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का
प्रावधान किया गया है।
लेकिन इन सक के बावजूद हमें अख्यापनी,
और समावार्य की सुविधा में बुद्धों की हत्या
और लुटमार की घटनाएं देखने को मिल ही
जाती है। बुद्धाश्रमों में बद्धों को उपीक्षित किया
जार है। इस समझन बहुती संख्या इस बात
का साफ सबूत है कि बुद्धों को उपीक्षत किया
जा रहा है। इस समझन है। ते अप समझ के इस अनुभवी स्तोभ को मूँ ही नजर अंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी पूर हो जाएंगे जो इन होगों के पास है। इस दौरान कीए एलएलनी हितीय वर्ष भी छात्र बुद्धा की
प्रावण्डली हितीय क्षेत्र के सम्बद्धित की
स्वाला की
स्वाला की
विस्तार से जानकारी से और इनका लाभ उठाने की अनुमारी सी और इनका लाभ उठाने की अनुमारी सी और इनका लाभ

Celebrating Gandhi Jayanti

DLSA ANUPPUR

On 02-10-20 Arbitration awareness program organized on the occasion of Gandhi Jayanti. Program held in the office of District Legal Services Authority. Trained mediators, Panel advocates and other members of Bar Association were present in the program. They were motivated to settle the case through mediation. There were 32 people in attendance at the event. Camp was organized following social distancing.





DLSA BALAGHAT





Awareness programme through Banners & Posters under the NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015 on the occasion of Gandhi Jayanti



Mediation Awareness Programme on the occasion of Gandhi Jayanti





DLSA JHABUA

DLSA SHAHDOL



DLSA DATIA





Awareness programme through Rally on the Fundamental Right and Duties on the occasion of Gandhi Jayanti



DLSA NEEMUCH





Awareness programme on the topic "Concept of Gandhiji's non-violence and mediation"

DLSA SHIVPURI





Online Mediation Awareness programme

Media Coverage



गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर हुई परिचर्चा

नीमच। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा पाधिकरण नीमच दारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष

में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नीमच गांधी जयंती श्री हृदेष जी के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य एवं प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब **अहिंसा दिवस के** चिंतक एवं समाजसेवी न्यायालय, नीमच श्री अखिलेष शुक्ला जी आयोजन की अध्यक्षता ''गांधी जी की

अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता'' विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता षिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन सम्पन्न हुआ। परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीष श्री हृदेष जी ने अपने संबोधन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों पर अमल किया जावे तो पूरा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जब विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईष नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका

उक्त कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय श्री अखिलेष शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीष श्री विवेक कुमार, अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड, वरिष्ठ पत्रकार एवं

नई विधा श्री राजेष मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मध् बंसल, गांधीवादी अवसर पर हुआ श्री अजय मटनागर, ग्रोफसर शासकीय स्नातको तार महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोषी ने भी

> सम्बोधित कर, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाष डाला। कार्यक्रम के पारंभ में आयोजन के उद्देष्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीष/सचिव श्री संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण. मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेन्टियर्स. कर्मचारीगण पत्रकारगण मिमिलित हरो।

जिला न्यायालय परिसर में किया मध्यस्थता जागरूकता को प्रेरित में हरर शार महा अव कॅरि व्यक्ति राष्ट्री संयु शिक्ष महा ऑन् आन् गांधी जयंती पर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया योजना शिविर

विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईश नहीं रहेगी -जिला न्यायाधीश

गांधी जयंती - अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

नीमच । अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवाप्राधिकरण, नीमच द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए,डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नीमच श्री हृदेश जी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच श्री अखिलेश शुक्ला जी की अध्यक्षता में गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता शिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हथे आयोजन सम्पन्न हुआ। परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीश श्री हदेश जी ने अपने संबोधन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों



पर अमल किया जावे तो परा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो

उन्होंने कहा कि जब विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईष नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका

अहमहोजातीहै।उक्तकार्यक्रमको प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अखिलेश शुक्ला, अपर जिला विवेक कुमार, न्यायाधीश अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक नई विधा श्री राजेश मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मध

बंसल, गांधीवादी चिंतक एवं समाजसेवी अजय भटनागर प्रोफसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोशी ने भी सम्बोधित कर, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन के उद्देश्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीश/सचिव संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण सम्मिलित हये।

गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर

गांधी जयंती-अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ाजां विधिक सर्वा प्राधिकरण, नीमच द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नीमच हृदेष के मुख्य आविष्य एवं प्रधान हृदेष के मुख्य आतिथ्य एव प्रधान न्यायाधीष, कृदुम्ब न्यायालय, नीमच अखिलेष शुक्ला की अध्यक्षता में 'गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता'' विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता शिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन



शाविर की कीराना आदाकाठ का पालन करते हुए आयोजन परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीय हुदेष ने उपने संबोधन कहा कि उब विवादों का समापन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की सुजह से होगा तो हिंसा की उत्तक कार्यक्रम को प्रधान अहिंसा की अववादणा एवं उनके भुजाईम नहीं सहेगी और अहिंसा न्यायाधीय कुटुन्ब न्यायालय

अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड, वरिष्ठ पत्रकार एवं नई विधा राजेश मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु बंसल, गांधीवादी चिंतक एवं व्यक्त किया। समाजसेवी अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय स्नातकोत्तर

आयोजन के उद्देश्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीष/सचिव संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम . लिन एवं अंत में आभार कार्यक्रम में जिला स्थापना के

न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी प्राथमें र जारधीय र पार्ट्याप्त र महाविद्यालय नीमच डॉ संजय मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीयाँ जोषी ने भी सम्बोधित कर, विचारक, पैनल अधिवक्तागण गांधी जी के अहिंसा की पैरालीगल जालेटियर्स अवधारण पर अपने विचार रखें कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण

नदी के घाट पर साफ – सफाई दिया जागरुकता का संव



रिवरिक्या

रिकरिकया (नवदुनिया न्यूज)। गाँधी जर्यती एवं लालवहादुर शास्त्री की ज्यंती पर विधिक सेवा प्राधिकर द्वारा शुक्रवार को चारुवा गुप्तेश्वर न्यूज)। शास्त्री को जयती पर विधिक्त सवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को चारुवा गुलेश्वर मंदिर के समीप माचक नदी के घाटों की साफ-सफाईं की गई। पैरालीगल वालींटियर संजय गंगराड़े के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को समझाइश वी किवह नदी के घाटों पर गंदगी न करें। गांधीजी के आदर्शों पर चलकर अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। इस नदी के घाट पर आसपास के 40 से 50 ग्राम केलोग घाट एवं मुंडन कार्यक्रम स उप्रधान कलाग बाट एवं मुझ्न कायक्रम करने के लिए आते हैं। कार्यक्रम के वाद वे लोग मुंडन के वाल एवं ब्लेड आदि वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे घाटों पर काफी गंदगी होती है।

इस बौरान पैरालीगल वालांटियर सुनील राजपूत, उप सरपंच संजय नामवेब, समिति से पुवन बधेला, विनेश दशोरे, विजय से पंजन बन्नेला, विनेश वशारे, विजय वशारे, संवेश जैन, अभिषेक तिवारी, तरुण सोनी, सानिच्य गंगराडे, विराग गंगराडे, लोवीप राजपूत आवि मैजूब रहे।

Celebrating World Mental Health Day

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

दिनांक 10 अक्टूबर 2020 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा "तनाव मुक्त सफल जीवन" विषय पर एक ऑनलाईन वेबीनार आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, सचिव, एवं प्रभारी मेंटल हेल्थ जिला चिकित्सालय छतरपुर डॉ. हिमांशी चतुर्वेदी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में ऑनलाईन माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के तहत परिभाशित किया गया है और जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड (क्यू) के अर्थ में मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है विधिक सेवाओं के हकदार है।

जिस्स संवातन हो. संजय अर्थों व्यवस संवातन हो. संजय आप तिवस मानिस के स्वास्थ्य दिवस World Mental Health Day

 10 अक्टूबर-2020 समय 5:00 बजे से तनाव मुक्त सफल जीवन नालसा (मानिसक अस्वस्थ्य नागरिकों के लिए विधिक सेवारों) योजना-2015

 व्यवस्थ मानिसक अस्वस्थ्य नागरिकों के लिए विधिक सेवारों) योजना-2015

 व्यवस्थ मानिसक अस्वस्थ्य नागरिकों के लिए विधिक सेवारों) योजना-2015

 व्यवस्थ मानिसक अस्वस्थ्य नागरिकों के लिए विधिक सेवारों) योजना-2015

 व्यवस्थ मानिसक अस्वस्थ नागरिका मानिसक मानि

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर ने

बताया कि व्यक्ति एकांकी जीवन जीने लगा है जिससे कि नेगेटिव थॉट आते है और सुसाइड कर लेता है, जानकारी देकर ऑनलाईन वेबीनार से जुड़े व्यक्तियों को लाभांवित किया।

डॉ. हिमांशी चतुर्वेदी प्रभारी मेंटल हेल्थ जिला चिकित्सालय छतरपुर ने बताया कि कोरोना काल के समय कैसे मनोरोग से बचने के लिए क्या उपाय करें, कैसे बचा जा सकता है, विशय पर विस्तृत जानकारी दी। डॉ. चतुर्वेदी ने बार—बार सेनेटाईजर से हाथ धोना यदि आप अकेले बैठे है तब भी बार—बार हाथ सेनेटाईजर से धोते हैं या साबुन से धोते है तो यह एक मनोरोग हो जाएगा आदि जानकारी प्रदान की।

उक्त ऑनलाईन वेबीनार शिविर में झाबुआ जिले के लोगों ने भी ऑनलाईन भाग लिया शिविर से लगभग 150 व्यक्ति लाभांवित हुये।







जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस मनाये जाने पैरालीगल वालेटियर्स श्रीमती स्वाती सोनी एवं श्रीमती वंदना बारस्कर के माध्यम से ग्राम मरामझिरी जिला बैतूल में शिविर आयोजित किया गया।

दिनांक 10.10.2020 को उक्त पैरालीगल वॉलेटियर्स द्वारा ग्राम मरामझिरी जिला बैतूल में पहुचकर ग्रामीणों को विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के अवसर पर जागरूक किया गया एवं महिलाओं को प्रतिदिन योग करने के लाभ बताये गये जिसमें अनुलोम—विलोम तथा प्राणायाम करने के लाभ तथा विधि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान की गई।





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

दिनांक 09.10.2020 को अंतर्राष्टोय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर गूगल मीट एप के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स एवं आमजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा

10 अक्टूबर 2020 का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा विश्व मनासिंक दिवस के अवसर पर डिप्रेशन से निपटने के निदान एवं उपायों के बारे में शिविर का आयोजन किया गया ।





Outreach Activities on various Schemes

Live TV program on Doordharshan

DLSA Secretary Bhopal participated as legal expert in Live T.V. Program on Doordharshan on 13th October, 2020 in order to aware the general public about their legal rights and duties. The said program was on the topic "Legal Services Authorities and their activities- Structure- Eligibility- Modes of legal services in Litigation".

Requisite information was being given about the functions, objectives of Legal services Authority in detail during the program. It has been given more emphasis that the legal services authority has wide iurisdiction to deal all civil all matrimonial cases. compoundable criminal cases and mandatory pre litigation mediation in commercial dispute. Other information related to eligibility criteria in



order to get legal services and its procedure thereof were also given in simple and lucid language. Certain questions were raised by general public during the program and the Secretary given its answers accordingly.



DLSA SHEOPUR

Under the aegis of District Legal Services Authority, Sheopur (M.P.), PLV, Smt, Anjana Sharma had on dated 14-10-2020 organised a legal



literacy camp for women at Women Rights Center.

The awareness concerning rights conferred on women and harmful effects of consumption of tobacco and drugs were imparted in the said camp.



DLSA DHAR

निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की ओर से चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों में से विजेता बच्चों को दिनांक 14.10.2020 को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करते हुए पुरस्कार वितरण किया गया।







DLSA ANUPPUR

(1) Awareness camp was organized under the NALSA (Legal Services for Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015, at Gram Panchayat Bakhi on 12-10-20. People were made aware about the rights of the ST/SC (Prevention of Atrocities) Act, Victim compensation scheme, Free and Competent Legal Aid Scheme, Rights of Women inmates, various government



schemes operated for Tribals. 24 people benefited from the program.

Awareness camp ware organized under the NALSA (Legal Services for Unorganized Sector Workers) Scheme 2015, at Gram panchyat Village Dhiraul on 13-10-20. The people became aware about the labor law, public utility Lok Adalat, free and competent legal aid scheme. 21 people benefited from the program.




(3) Legal Literacy camp was organized under the NALSA (Legal Services for Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Victims) Scheme 2015, at Gram Panchayat Patna, on 13-10-20. There were told about the rights of women who are victims of crime. victim compensation, rehabilitation facility, free and competent legal assistance scheme. About rights of women prisoners, various government schemes operated for women and girls, facility of one stop center also told.





DLSA DATIA

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दितया द्वारा दिनांक 06.10.2020 को समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र दितया की समस्याओं का समाधान एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ऑन —लाईन निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया ।





DLSA CHHATARPUR

(1) Camp was organized at Mahila Samiti Chhatarpur to aware people about Fundamental Duties provided in the Consititution and NALSA Scheme - Legal Service to the Mentally ill and mental disabled persons, scheme-2015.



(2)Camp was organized at Village - Khajua, to aware people about NALSA Scheme - Legal Service to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace, scheme-2015.





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

मद्य निषेध सप्ताह कार्यकम में दिनांक 7 अक्टूबर-2020 को जिला

चिकित्सालय झाबुआ में नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन) योजना-2015 अंतर्गत नशा मुक्ति एवं जागरूकता कार्यकम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपस्थित नशा पीडितों एवं आम नागरिको को नशे के व्यसन से मुक्ति के लिये चिकित्सीय उपचार एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया एवं सभी प्रकार के नशा तथा नशीली वस्त्यें जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, हैरोईन, आदि को छोडने की



सलाह एवं समझाईस दी गई। उक्त शिविर से लगभग 50 नशा पीडित एवं अन्य व्यक्ति लाभांवित ह्ये।

झाबुआ-बड्वानी

नवभारत

नशे की लत व्यक्ति के साथ परिवार और समाज के लिए घातक

प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं

याबआ। परा निषेध समाह ने ने पीडितों एवं आप नागरिक कार्यक्रम के तहत बधवार को को नशे के व्यसन से मक्ति के विला चिकित्सालय झाबुआ में लिये चिकित्सीय उपचार एवं नालसा (नशा पीडितों को विधिक मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया सेवाएँ एवं नशा उन्मलन) एवं सभी प्रकार के नशा तथा योजना-2015 अंतर्गत नशा मुक्ति नशीली वस्तुयें जैसे बीडी, एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं तंबाक, सिगरेट, शराब, गांजा, विधिक साक्षरता शिविर का भांग, अभीम, चरस, हैरोईन आदि आयोजन जिला विधिक सेवा को छोड़ने की सलाह एवं समझाईश दी गई तथा नशा मुक्ति सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता केन्द्र में उपचार व परामर्श कराकर के मार्ग टर्शन एवं अपर जिला नशे की लत को हो हने की सभी से न्यायाधीशः सचिव जिला विधिकः अपील की गई। कार्यक्रम में अपर निर्देशन एवं उपस्थित में संबोधित करते हुए कहा कि नशा. आयोजित किया गया। उपस्थित नाश की जड है। जिससे व्यक्ति का



आर्थिक जारीरिक व सामाजिक कैंसर हहा एवं रक्त संबंधी नुकसान होता है एवं नशे की लत वीमारियों जैसे हार्ट अटैक, क्षय कें कारण अनेक गंभीर बीमारियों रोग (टीबी), पुरूषों में जैसे- महं, गला, ध्वनि तंत्र, पेट नप्ंसकता, मोतियाबिंद, गैंग्रीन,

समस्याएँ आती है। नशा व्यक्ति अनेक कार्यक्रम आयोजित को शारीरिक रूप से नष्ट करता है एवं व्यक्ति की सामाजिक स्थिति नालमा की योजनाओं का भी खराब हो जाती है और वह प्रचार-प्रसार किया गया। नशा व्यक्ति अपने परिवार व समाज मुक्ति के लिये समाज में पर बोझ बन जाता है और नशा से मुक्त होकर व्यक्ति अपने परिवार कार्यक्रम में डॉ. एसएस गर्ग समाज व राष्ट्र के विकास में द्वारा सचित्र फोल्डर के माध्यम सप्ताह अंतर्गत गांधी जयंती से उपचार की विस्तार की नशा पीडितों को नि:शल्क जानकारी टी गई। आयोजन में विधिक सहायता एवं शासन की न्यायाधीश राजकमार चौहान पण्पा सोलंकी एवं श्रीमती योजनाओं को लाभ दिलाये गर्भाशय, गुर्दा फेक्क्ट्रे आदि का महिलाओं में प्रजनन क्षमता में बाने के लिए जिला विधिक शर्मिला उपस्थित थी।

नशा पीडितों के लिये उपचार, परामर्श एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

प्राबुआ। मद्य निषेध सप्ताह हार्यक्रम में आज 7 अक्टूबर-को कावकाम में आज 7 अक्टूब्र-का जिला चिकित्सालय झाबुआ में नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएँ एवं नशा उन्मूलन) योजना-2015 अंतर्गत नशा मुक्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साधरता शिवर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश देवलिया के निर्देशन एवं उपस्थिति में आयोजित किया गया। उपस्थित नशा पीड़ितों एवं आम नागरिकों को नशे के व्यसन से मुक्ति के लिये चिकित्सीय



से मुक्त के लिये जिकत्याथ प्रवास करवा । उपया एवं मनेबोलिक प्रपत्नी तन को केंद्रोंने के सभी में अभीना तेंसे- मूह, जल, जाने तंत्र, पेट है। नाव व्यक्ति को स्वाहित करें। त्या के ताव की तहीं को स्वाहित को को कहाँ कि को स्वाहित कर से त्या का विश्व को स्वाहित को तो पहुं। कार्यक्रम में अपर जिला । तथा नातीं सहायें नेसे बीते, 'न्यायाधीत औं एवंत्र देखीरण ने कैसर, तहा एवं रक्त संबंधी सार्वाहित स्वित्त भी खरण के औं रावकुमार चीलन एवं औं पत्ति कहा, निस्ति करते हो के स्वाहित के तहीं के हैं अपने कार्यक्रिय स्वाहित स्वित के तहीं की स्वाहित के स्वाहित की स्वाहित स्वाहित की स्वाहित स्वाहित की स्वाहित स्वाहित की स्वाहित की स्वाहित की स्वाहित की स्वाहित की स्वाहित स्वाहित की स्वाहि

द्वारा सचित्र फोल्डर के माध्यम से नशे से नुकसान एवं प्रभाव व उपचार की विस्तार की जानकारी



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी

दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 (रविवार) को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के सामंजस्य से वनस्टॉप सेंटर, शिवपुरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे म जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता

अधिकारी एवं पी०एल०व्ही० कु० मोनिका केवट

उपस्थित रहीं।





अंतरराष्ट्रीय बालका दिवस पर सामाजिक मानसिकता में बदलाव की अपील

बेटियों की शिक्षा-सुरक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयासों की जरूरत

शिवप्री। इतिहास गवाह है कि बेटियां कभी भी समाज और परिवारों में बोझ नहीं समझीं गईं, उन्हें देवी के रूप में हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाता रहा है। यह तो दुषित सामाजिक सोच का परिणाम रहा कि हम विकसित होने का ढोंग करते करते दहेज के लालची बनते गए और अपनी ही बालिका संतान हमें बोझ लगने लगी। यह बात अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा ने कही।

महिला एवं बाल विकास द्वारा वन स्टॉप सेंटर में महिला एवं बच्चों के कानूनों पर आयोजित संगोष्टी में उन्होंने कहा कि हमें बेटे पैदा करने का अहंकार नहीं करना चाहिये। बेटे-बेटियां सब प्रकृति की देन हैं,उन्हें समान परवरिस, समान स्नेह और समान अवसर देने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा प्रकार के दिवसों का आयोजन और योजनाओं का संचालन 🛚 दुरुपयोग से बचना चाहिये।



कर रहे है। संगोष्ठी में पीसीपीएनडीटी एक्ट, घरेलू हिंसा रे महिलाओं का संरक्षण,पॉक्सो एवं बाल विवाह निषेध कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। विधिक सहायता अधिकारी शिखा ने कहा कि कानून दूसरों को सबक सिखाने जायेगा कि हम 21वी सदी में बेटियों को बचाने के लिये इस 🛮 के लिये नहीं, हमारी हिफाजत के लिये होते है। हमें उनके



साइकिल रैली निकालकर दिया बेटी बचाओ, बेटी पढाओ का संदेश

महिला बाल विकास विभाग नरवर द्वारा बेटी बबाओ बेटी पढाओं योजनांतर्गत अंतरीष्टीय बालिका दिवस के अवसर पर किशोरी बालिकाओं की साईकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं पर करनार बारावाजा कर ताक्रिक्य रही का जीवाजा किया गया हुत उत्पर्स मुख्य आता व के रूप न महाना प्र बात विकास विभाग के जिला कार्केक्रम अधिकारी देवेन्द्र चुंदीरयात ने हरी इति दिखाकर साईकित रैली का शुभारंभ किया गया। श्री सुंदरियाल ने कार्केक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलब्ध में उपस्थित आगनवाडी कार्यकताओं, किशोरी बालिकाओं एवं जनसमूह को सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीवारी बढाने तथा सभी सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर मुख्य रूप से स्शक्त भूमिका निभाने वाली हस्तिओं का उदाहरण

देकर किशोरी बालिकाओं को जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। साईकित रेली महिला एवं बाल विकास विभाग नरवर के जनपद परिसर में स्थित कार्यालय से प्रारंभ होकर बाईपास के रास्ते लोदी मान मंदिर से होते हुए न तर मुख्य बाता के रास्ते ने वादिन हो हुए कार्यत्व पर भागाई हो उठ रेती के कार आधान में पुनित हिमा न तर का भी आधान सहनीर हो। परियोजना अधिकारी रिक्मन पाराशर द्वारा रेती समाधि पर भागीदार्ग करने वाती किशीरी बलिकाओं एवं ऑगनवडी कार्यक्ताओं का आभार व्यक्त किया। उक्त रेली के आयोजन में मुख्य रूप से अजय विवारी, बर्मन्द्र वाद्य, श्रीमती अर्चना महाजन, श्रीमती कीर्ति वर्मा, श्रीमती जयदेवी वादत, श्रीमती किरा सरक्रावार, श्रीमती अर्जीव ताहत, श्रीमती किरा सरक्रावार, श्रीमती अर्जीव सिंह राजीरिया आरक्षक, सुनील रावत आरक्षक, केंद्ररीलाल आदिवासी का योगदान सरहनीय रहा

Mon, 12 October 2020
epaper.starsamachar.com/c/55606495







Empowering Women through Legal Awareness Camp



A CAMPAIGN for empowering women has been launched by Hon'ble Executive Chairman of NALSA, On the countries 74th,,under joint initiative of NALSA and NCW. In pursuance of scheme Legal Awareness Programme are being organized by DLSA's across the state under the existing protocol. The resource persons enlightened the female participants about certain women laws as prescribed by NALSA.

DLSA BALAGHAT (10.10.2020)





DLSA BARWANI (10.10.2020)







DLSA BETUL (14.10.2020)





DLSA BHIND (06.10.2020)





DLSA BURHANPUR (14.10.2020)





DLSA CHHATARPUR (14.10.2020)





DLSA DEWAS (10.10.2020)





DLSA DHAR (15.10.2020)







DLSA HOSHANGABAD (10.10.2020)





DLSA INDORE (10.10.2020)





DLSA JABALPUR (10.10.2020)







DLSA KATNI (10.10.2020)





DLSA KHANDWA (09.10.2020)





DLSA MANDLESHWAR (17.10.2020)







DLSA MANDSAUR (10.10.2020)





DLSA MORENA (09.10.2020)





DLSA NARSINGHPUR (20.10.2020)







DLSA NEEMUCH (10.10.2020)





DLSA PANNA (14.10.2020)





DLSA RAISEN (14.10.2020)







DLSA RAJGARH (12.10.2020)





DLSA SAGAR (10.10.2020)





DLSA SATNA (17.10.2020)







DLSA SEHORE (15.10.2020)





DLSA SEONI (16.10.2020)





DLSA SHAJAPUR (03.10.2020)





DLSA SHEOPUR (05.10.2020)







DLSA SIDHI (16.10.2020)





DLSA SINGRAULI (17.10.2020)





DLSA TIKAMGARH (23.10.2020)







DLSA UMARIA (10.10.2020)





DLSA VIDISHA (15.10.2020)





Media Coverage

વાવવાન મ ત્રહત મારુલામાં એ આવેએક એ! ગાનેએક! આતે હોઇ

पहुंचना कार्यक्रम का उद्देश्य : आर.एम भगवती अपर जज कोटरा में विधिक जागरुकता महिला संशक्तिकरण कार्यक्रम संघन्न

चीचीटी न्यूज. श्योपुर ष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं द्वीय महिला आयोग के तत्वधान में म कोटरा में विधिक जागरूकता से म काररा में विषय जार्यक्रम का हिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के ाहरना सरान्तकरण कावक्रम की गयोजन हुआ। कार्यक्रम के ख्यातिथि के रूप अपर जज गर.एम भगवती कार्यक्रम की गर.एम भगवता कायत्रम की रध्यक्षता विभूति तिवारी एवं विशिष्ट रितिथि के रूप महिला संशक्तिकरण र्गितिथि के रूप महिला संशोधनार पिकारी रिशु सुमन मुख्यरूप से पस्थित रहे। संचालन पैरा लीगल पिलीटियर्स राजा खान ने किया। इधिक जानकरी से अवगत कराने हिल्म रिसोर्स पर्सन श्रीमती रहा ाहोन और सुन्नी सुनीता अग्रवाल दी कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के म में उपस्थित सभी महिलाओं को प्रस्क विकाश कर ग्रेनेगटन किया



और उनकी स्त्रीनिंग की जिसमें महिला सर्शातज्वरण अधिकारी रिश् सुमन ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को विस्तार से समझाया और ज्वार कि किया गोजनाओं से और कहा कि जिन योजनाओं मे भाग कि उनको लाभ आप पात्र है उनको लाभ आप तकान विकास से ने सकने है

पीड़ित ओर शोपित महिलाएं अपने पीड़ित और शोधित मीहिलाएं अपने अध्वक्तम के लिए लड़ नहीं चाती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिर्धि अपर जल आर एम भावती ने कहा कि सर्विधान द्वार महिलाओं को प्रता अध्वक्ता की जानकारी को प्रता पहुंचना है इस जानकारत कार्यक्रम का उदेव्य है। कार्यक्रम में मुख्य क्य में पा लीगल वीलिटियर्स मकेश से पैरा लीगल वॉलिटियर्स मुकेर स परा लागल जालाट्यस मुकरा मीणा, राजा खान, ग्राम पंचायत के सरपंच रवि त्यागी , पंचायत सचिव खलील अहमद, रामधास आदिवासी, पर्वयक्षक सरला, फुला वाई, निरमा बाई, बाइ, निरमा बाइ, अकारम जाने, रमेश माहौर रमेश शर्मा, लोकेन्द्र जाट विजेंदर जाट एवम 80 महिलाएं एवं रमम्बर मामीण जपस्थित रहे। क महिलाजा जागरूकता से अवगत करना हमारा जागरूकता से अवगत करना हमारा

शिविर में महिलाओं को अपने अधिकारों के संबंध में दी जानकारी बाल विकास अधिकारी बी।

ताप्ती दर्शन बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण । महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में ग्राम मरामझिरी विधिक साक्षरता एवं महिलाओं सशक्तिकरण विषय पर शिविर योजित किया गया। यह शिविर ला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष ला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रुसर जावेद खान एवं प्राधिकरण सचिव श्री मनोज कुमार मण्डलोई मार्गदर्शन में आयोजित किया ॥। शिविर में जिला विधिक मिथलेश अधिकारी

डेहरिया, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीएल विश्नोई, पसंन/अधिवक्ता श्रीमती योगिता डॉगरे, सुश्री शीतल गोस्वामी, रिसोर्स ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की आशा कार्यकर्ता, पर्यवेशिकाएं, पैरालीगल वॉलेंटियसं व ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथलेश डेहरिया ने बताया कि विधिक जागरूकता से ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है और सशक महिला से समाज में जागृति आती है। इसी उद्देश्य से

महिलाओं के लिए यह विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राय: यह पुषा है। अकान कहा कि आप: यह देखा गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव के चलते आवाज नहीं उठ पाती, इसी के चलते कई तरह की कठिनाइयों का सामना करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें न्याय दिलाने में सहायता की जाती है। डेहरिया ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पास्को एक्ट, विवाह की आयु, बाल विवाह आदि के बारे में कानूनी जानकारी भी दो। महिला एवं

विश्नोई ने विभाग द्वारा संचारि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जानकारी दी तथा वन स्टॉप सेंटर सेवाएं प्राप्त करने के संबंध महिलाओं को जानकारी दी। शि में पोषण आहार माह अंतर्गत पो। स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें महि एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी श्रीमती नीर शर्मा द्वारा पोषण आहार बनाने तरीका बताया गया। इस दौरान पो। आहार व्यंजनों की प्रदर्शनी भी ला गर्द ।

महिला सशक्तिकरण के लिये आयोजित हुआ जागरूकता शिविर



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा धकरण के निर्देशानुसार एवं जिला ॥वाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा धिकरण नवीन सक्सेना के मार्गदर्शन में ष्ट्रीय विचिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय हिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में हिलाओं से संबंधित कानून और मामलों से बंधित महिला संशक्तिकरण जागरूकता विर आज जिले के ग्राम बरगी नगर में गयोजित किया गया। इस शिविर में

गई तथा रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा, अधिवक्ता तुलसा कोष्टा ने भी शिवर में उपस्थित महिलाओं को विस्तृत रूप से संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, व्यपहरण संबंधी कानून, श्रम विधियाँ, मातृत्व लाभ, समान पारिश्रमिक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे एसिंड अटैक, बलात्संग, दहेज, पति के द्वारा क्रूरता, लैंगिक उत्पीड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का भरण पोषण, भूण हत्या, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि कानूनों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर शिविर में आंगनवाडी

वेबर वाणा

אשאי ש זיס ע עיץ वेधिक साक्षरता शिविर आयोजित



ल, सांध्य दैनिक खबरवाणी रक्षण क्षणक स्वयं प्राधिकरण एवं महिल ला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिल जिला जिथक सवा आधकरण एवं महिला त्र विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 14 ह्वर को ग्राम मरामझिरों में विधिक साक्षरता विश्वना के प्राप्त प्रावस्थान न वि स्वा को ग्राम मार्गावित में विशिष्ठ मार्गावता महिलाओं का सर्वाकिकरण विषय पर शिवार संवित्त किया गया। यह शिवार विश्वन एवं मन प्राप्तीय अध्यक्ष करता विश्वक सेवा ग्रापिकरण इस्त जावेद स्वान एवं ग्रापिकरण के सर्विवय ज कुमार मण्डलीई के मार्गदर्श में आयोजित या गया। शिवार में जिला विश्वक सहस्रात प्रकारी मिथलेश डेहरिया, जिला महिला एवं श विकस्त अधिकारी बोएल विद्योई, रिसोर्स अधिकारी अधिकारी बोरण विद्योई, रिसोर्स अधिकारी भीरण विद्योई, रिसोर्स इस गोस्वामी, ग्राम पंचायत सर्पयं महिला इस महिला एवं बाल विकास विभाग है उपस्थित रहीं। शिवर में जिला विधिक सहा

ातावर म जिला विधिक सही अधिकारी मिथलेश डेहरिया ने बत कि विधिक जागरूकता से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव और संशक महिला से समाज जागृति आती है। इसी उद्देश्य से सह

जागृति आती है। इसी उद्देश्य से गण् महिला आयोग के समन्वय महिलाओं के लिए यह कि जारककता तिक्षिप आयोजित कि गया है। उन्होंने कहा कि प्राय: देखा मगा है कि महिलाएं अपने अधिकारों के हैं कानून के जागब के ज्वाब के प्लात आयोज उठा पाती, इसी के चलते और तार की किठता का समान जाती है। जिसक सेवा पाधिकरण। ठत्र पाती, इसी के चलते कई तरह को कठिया। का सामना करती है। विधिक तेरा प्रधिक्त हो। उन्हें न्याय दिश्तने में सहस्ता को जाती है। इंडिएसा ने देहेज प्रतिषेध अधिनयम्, सास्को ए विवाह को असु, बाल विवाह आदि के बारे कन्नी जानकारी भी है। मीहला एखं बाल विवा अधिकारी खोल विवाह ने विधान प्रसं जाती विधान कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी तथा वन स्टीप सेट्र को देखाएं प्रधा करने के सं में महिलाओं को जानकारी ही। शिवांच सं पो आहार, माह अंतरीत पोषण स्टोल भी लगाए । आहार माह अंतर्गत पोषण स्टॉल भी लगाए

NLSA organises awareness camp for women empowerment

UNDERthe aegis of the National Legal Services Authority (NLSA), New Delhi, and the National Commission for Women and direction of Madhya Pradesh State Legal Services Authority, labalpur, with guidance of District Judge, Chairman District Legal Services Authority, labalpur, Naveen Saxena, an avareness camp for women empowerment organised on Saturday av tillage Bargi Nagar in Jabalpur district.

In the said awareness camp for women empowerment of the model of the minimal provisions and laws relational provisions and laws re

women present in the camp-from women's rights in proper-ty, labour laws, maternity bene-fits, equal remuneration, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, crimes against women such as acidattacks, rape, cruelty by hus-band, sexual harassment, Information was given in relaacidattacks, rape, cruenty by nus-band, sexual harasament, Information was given in rela-tion to laws such as PC&PNDT ACT. Sexual Harassment of Women at Workplace, Protection of Children from Sexual Offenses Act. Women's Health Rights, Prohibition of Child Marriage Act. etc.

Act, etc. In this awareness camp for In this awareness campowerment memowerment Anganwadi supervisor, Mahla Swarozgar Yojana in-charge and paralegal volunteer Purvez Khan, Dinesh Rajput, Balvijay Rajput were present on the occasion. were present on the with about 50 women attended.

ग्राम असरा म लगाया गया विधक जागरूकता शिवर.

महिलाओं से संबंधित कानूनी मुद्दों

क्री दी गई उपयोगी

गप्रेरणा डॉटकॉम, वारासिवनी।

ग्रष्टीय महिला आयोग नई दिखी के प्रन्वय से ग्रज्य विधिक सेवा

सन्यम से राज्य विधिक संवा विकारण जकान्त्र के आरंकानुसा या जित्रण एवं राज्य गायाधीश अध्यक्ष रूपा विधिक संवा प्रतिकारण रूपाया अस्ताना के केसरावाचे के रिकार में जनपद पंचावत बारासिकते राजां प्राप्त पंचावत बारासिकते राजां प्राप्त पंचावत बारासिकते राजां के प्रतिकार्ध के केस्तुनी कार से राजांक करने वह सहस्ता करने के एर शिवित को आयोजन किया परा



पर कार्यक्रम के क्या गया।
इस कार्यक्रम में परिवादाकिये प्राप्ति क्या गया।
इस कार्यक्रम में परिवादाकिये प्राप्ति कार्यक्रम स्वार्थिय अपनिवादाकिये प्राप्ति कार्यक्रम स्वार्थिय अपनिवादाकिये प्राप्ति कार्यक्रम स्वार्थिय अपनिवादाकिया प्राप्ति कार्यक्रम में में प्राप्ति कार्यक्रम में प्राप्ति कार्यक्रम में में में में मान्य कार्यक्रम में में में मान्य कार्यक्रम में में में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में में में में मान्य कार्यक्रम में में मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम में में में में में मान्य कार्यक्रम में में में में मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम में में में में में में मान्य कार्यक्रम मान्य कार्यक्रम में में में में में में में मान्य कार्यक्रम में में में में में में में मान्य कार्यक्रम में में में मान्य कार्यक्रम मान्य कार्यक्रम में मान्य कार्यक्रम मान्य कार्यक्य कार्यक्रम मान्य कार्यक्रम मान्य



खंडवा भास्कर 1

हिलाओं को कानूनी साक्षुरता का जू परिवार के विकास के लिए जरुरी



ग्रह्माओं का कानूना साक्षरता का ज्ञान होना आवश्यव

महिलाओं के लिये ग्राम जावर में आयोजित हुआ जागरूकता शिविव



जयपुर हैदराबाद द्रे जयपुर हदराबाद द्र को पुन: प्रारंभ कर की रखी मांग



ग्राम कोटरा में हुआ विधिक जागरूकता शिविर

संविधान में महिलाओं को मिले कई अधिकार : भगवती



कोटरा में आयोजित हुआ विधिक जागरुकता का महिला सशक्तिकरण कार्यकम

महिलाओं के अधिकार की जानकारी आप तक पहुचना कार्यक्रम का उद्देश्य : आर.एम भगवती अपर जज

महिलाओं को काननी जागरूकता से प्राधिकरण का लक्ष्य : विभूति तिवारी





धार भास्कर 18-10-2020

राष्ट्र का विकास करना है तो पहले महिलाओं का विकास जरूरी



धामनोद. कार्यक्रम को संबोधित करते अतिथि व शामिल महिलाएं।

: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश बडोदिया ने कहा

भारकर संवाददाता धामनोद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सयंक्त तत्वावधान में धामनोद के एमएनडीसी कॉलेज में महिलाओं के उत्थान के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। मख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम बड़ोदिया, कानून विशेषज्ञ एकता शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा मेरवानी थी।

मित्र जयेश राजपुरोहित, रीना नाहर, धरमपुरी सीडीपीओ प्रिया ने किस प्रकार समाज के कमजोर मिश्रा ने माना।

वर्ग एवं पीडित व्यक्ति को न्याय दिलाया जा सकता है एवं निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जा सकती है इसके बारे में बताते हुए कहा यदि हमें राष्ट्र का विकास करना है तो पहले महिलाओं का विकास करना होगा। शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, पाक्सो अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक अपराधों की रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के बारे में बताया। नाहर व राजपरोहित ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सलोनी राठौर, लेखा शर्मा, शिवसिंह तोमर धार मौजूद थी। कोरोना के नियमों का पालन करने व मास्क पहनने विशेष अतिथि जिला आयोग की शपथ दिलाई। संस्था द्वारा अतिथियों को अभिनंदन पत्र एव स्मृति चिह्न भेंट किए। संचालन बुंदेला थी। न्यायाधीश बडोदिया मनोज नाहर एवं आभार सीमा

शिविर में महिलाओं को दी गई अधिकारों की जानकारी

हरिमूमि न्यूज 🙌 सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष राजवर्धन गुप्ता के कानून और मुद्दों से सम्बंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवां प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से जागर से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है।

महिलाओं के अधिकारों से सम्बंधित शिविर में उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाकर शिविर के पूर्व उपस्थित होने वाली महिलाओं व अधिकारियों की थर्मल स्क्रिनिंग की गई। शिविर में नागोत्रा ने महिलाओं के अधिकार, कानून की



सीहोर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर का हुआ आयोजन ।

समस्त धाराओं के बारे में, उनको सजग व साक्षर रहने के लिए प्रेरित किया गया व अन्य उदाहरण देकर भी विस्तार से समझाया।

दिलीप जैन सीईओ जनपद पंचायत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम के बारे में बताकर उन्हे अपने प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। अधिवक्ता रजंना शर्मा व बरखा वर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह

अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में शिविर में महिलाओं को जानकारी दी गई। आबिद खान पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा शिविर में हेल्प

के सम्बंध में आवेदन लिए गए। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश व सिंचूव जिला' विधिक सेवा प्राधिकरण एसके. नागोत्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी, सीईओ जनपद पंचायत दिलीप जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रचना बुदोलिया प्तं बरखा वर्मा, रंजना बुदालया एवं बरखा वर्मा, रंजना शर्मा, सरपंच व सचिव, पैरालीगल वालेन्टियर्स आबिद खान सहित महिलाएं आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित हुई।

शिविर में महिलाओं को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी



र संवाददाता. सीहोर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश व इ राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन इलाओं से संबंधित कानून

अध्यक्ष राज्यभेन गुता कं माण्डरात में महिलाओं से संबंधित कानून और मुंदों से संबंधित कानून और मुंदों से संबंधित कानून और मुंदों से संबंधित जागरुकता के लिए राष्ट्रीय विधिक्त संवाधिकरण एवं राष्ट्रीय विधिक्त सोवाधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्य से जागरुकता ते सार्वाक्तकरण शिवर का आयोगा निकाम गया है। शिवर में अपर जिला विधिक्त सेवा ग्राधिकरण एसके नागोत्रा, जिला विधिक्त संवा ग्राधिकरण एसके नागोत्रा, जिला विधिक्त संवा ग्राधिकरण एसके माणेत्रा सेवाधिक सेवा ग्राधिकरण एसके सिकास सिकास महिला एवं बाला विकास अधिकारी पत्रम पंचाराव दिला एवं सिकास प्रमान सिकास माणेत्रा हो। गिलाओं के अधिकारी सेवाधिकर गुरू गालाओं और अधिकारी सेवाधिकर गुरू गालाओं और अधिकारी सभी महिलाओं और अधिकारीयों की समिला अधिकारीयों और अधिकारीयों की समिला स्क्रीनिंग

की गई। शिविद में नागोत्र ने महिलाओं के अधिकार, कानून की समस्त भागा के बार में, उनको सन्त भागा के सामस्त भागा के सामस्त भागा के सामस्त महिलाओं के बार महिलाओं को सामस्त महिलाओं को अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस्ता मिलिंग कि सामस्त मिलिंग के सामस्त मिलेग के सामस्त मिलिंग के

निवस्तर संजानकारा दा गई। दिलीप जैन सीईओ जनपद चायत ने महिलाओं के लिए वर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नायोजित कार्यक्रम के बारे में

राष्ट्र का विकास करना हैए तो महिलाओं का विकास आवश्यक है . त्यायाधीश बडोढिया



Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
33	12

